प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक विविध याचिका क्रमांक 141/2003

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्तागण - 1. आलोक कुमार दुबे, पिता डॉ. जगदीश प्रसाद दुबे, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी राजेन्द्र नगर, मुख्य डाकघर के पास, थाना सिविल लाइन्स, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

2. डॉ. जगदीश प्रसाद दुबे, पिता स्वर्गीय श्यामलाल दुबे, आयु लगभग 68 वर्ष, निवासी राजेन्द्र नगर, मुख्य डाकघर के पास, थाना सिविल लाइन्स, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

3. आभा तिवारी, पति श्री अनुभव तिवारी, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

4. श्रीमती अपर्णा पाण्डेय, पति श्री अरुण पाण्डेय, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी बंगालीपारा, न्यू सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

5. अरुण पाण्डेय, पिता राधेलाल पाण्डेय, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी बंगालीपारा, न्यू सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा महिला थाना, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

2. उप पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

3. श्रीमती विन्ती दुबे, पति आलोक कुमार दुबे, व्यवसाय शिक्षाकर्मी, निवासी सोनिलोहार, थाना मस्तूरी, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत याचिका

उपस्थितिः-

श्री पी. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री के.के. गुप्ता, अधिवक्ता याचिकाकर्तागण की ओर से।

श्री जी.के. बेरीवाल, उप महाधिवक्ता, राज्य की ओर से (अग्रिम प्रति पर)।

मौखिक निर्णय

(दिनांक 18.04.2007)

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश,

सुना गया।

कार्यालय द्वारा कुछ त्रुटियाँ दर्ज की गई हैं।

उक्त त्रुटियाँ औपचारिक प्रकृति की हैं।

अतः उन्हें क्षम्य किया जाता है।

प्रवेश स्तर पर सुना गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यह याचिका दिनांक 1 दिसम्बर, 2006 को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 343/2006 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्तागण के पुनरीक्षण को निरस्त करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर द्वारा दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 432/2006 में दिनांक 21.09.2006 को पारित आदेश की पुष्टि की, जिसके माध्यम से उक्त न्यायालय ने समस्त याचिकाकर्तागण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए/34 के अंतर्गत आरोप विरचित किए थे।

संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता श्रीमती विन्ती दुबे, जो कि आलोक कुमार दुबे (वर्तमान याचिकाकर्ता क्रमांक 1) की पत्नी हैं, द्वारा दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन के

आधार पर याचिकाकर्तागण, जो पति एवं उसके रिश्तेदार हैं, के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए/34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

विधिवत् जांच के उपरांत अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया तथा संबंधित मजिस्ट्रेट ने उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए। उक्त आदेश को याचिकाकर्तागण द्वारा सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण के माध्यम से चुनौती दी गई, किंतु उक्त न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण निरस्त कर दिया गया।

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथमदृष्टया याचिकाकर्ता क्रमांक 2 से 5 के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः उन्हें उन्मोचित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के विरुद्ध भी कोई प्रथमदृष्टया साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी और उसके विरुद्ध विरचित आरोप भी विधिसम्मत नहीं हैं। उनका निवेदन है कि विचारण न्यायालय तथा पुनरीक्षण न्यायालय ने समस्त याचिकाकर्तागण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए/34 के अंतर्गत आरोप निर्धारित कर विधि की त्रुटि की है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मैंने याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता को सुना तथा अभियोग-पत्र की प्रति का भी अवलोकन किया।

दिनांक 21.06.2005 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति अभिलेख-पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 55 पर प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता ने समस्त याचिकाकर्तागण के विरुद्ध आरोप लगाए हैं तथा उसने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के साथ विवाह के पश्चात याचिकाकर्ता उसके साथ किस प्रकार क्रूरता का व्यवहार कर रहे थे।

एफ.आई.आर. का प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नानुसार उद्धृत है :

> "शादी के बाद ससुरालमें मेरे पति आलोक दुबे, ससुर जगदीश प्रसाद दुबे एवं ननद अर्पणा पाण्डेय, अरुण पाण्डेय एवं नंनद आभा तिवारी सब मिलकर कम

दहेज मिला है एवं निम्न कोटि का सामान मिला है कहकर शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताडित करने लगे मैं भविष्य के सुखमय जीवन अस्पष्ट करके सभी उलाहनों को सहती रही। इसी बीच मैं 3 माह की गर्भवती थी तो मेरा दवा खिलाकर घर में ही गर्भपात करवा दिये टेलीफोन में मायके वालों से बातचीत करने नही देते थे। कभी बात होती थी तो पास में खडे रहते थे। इसी बीच मैं पुनः गर्भवती हो गई यह बात जानकर मेरे पति रोज लडाई-झगडा कर मारपीट करने लगे और मायके फोन करके मुझे ले जाने को कहे तब 21/12/2004 को मेरे पिता मुझे लिवाकर लोहर्सी ले गये। इसी दौरान मेरे ससुराल वाले चार पहिया गाडी की मांग करके रखने नही तो तलाक देने की बात कहकर मेरे पति व अरुण पाण्डेय लोहर्सी आकर लडाई-झगडा किये और बोले कि अगर चार पहिया गाडी नहीं दोगे तो यो.. बोलेंगे कि यह बच्चा हमारा नहीं है। दूसरी शादी करने की धमकी दिये है। रिपोर्ट करती हूं। मेरे बताये अनुसार लिखी गई है। पढकर देखी हूं।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पवन कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य **[(1998) 3 SCC 309]** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि “क्रूरता” अथवा “उत्पीड़न” का शारीरिक होना आवश्यक नहीं है। किसी उपयुक्त मामले में मानसिक प्रताड़ना भी भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी एवं 498-ए के अर्थ में क्रूरता एवं उत्पीड़न का मामला हो सकती है। धारा 498-ए की व्याख्या (क) स्वयं मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की क्रूरता का उल्लेख करती है।

न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि “जानबूझकर किया गया आचरण” का अर्थ है ऐसा आचरण जो जानबूझकर किया गया हो; इसका अनुमान प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष साक्ष्य से लगाया जा सकता है। विवाह में प्रवेश करते समय एक लड़की अपने भविष्य के सुखद जीवन के अनेक सपने एवं आशाएँ लेकर आती है, और यदि विवाह के अगले ही दिन से पति उसे दहेज न लाने के लिए ताने देना प्रारंभ कर दे तथा उसे कुरूप कहकर

अपमानित करे, तो नववधू के लिए इससे अधिक मानसिक प्रताड़ना, उत्पीड़न या क्रूरता और कुछ नहीं हो सकती।

गणनाथ पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य **[(2002) 2 SCC 619]** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह प्रतिपादित किया कि "क्रूरता" की अवधारणा तथा उसका प्रभाव व्यक्ति-विशेष के अनुसार भिन्न हो सकता है और यह उस व्यक्ति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। उक्त धारा के अंतर्गत अपराध स्थापित करने के लिए "क्रूरता" का शारीरिक होना आवश्यक नहीं है। किसी उपयुक्त मामले में मानसिक प्रताड़ना अथवा असामान्य व्यवहार भी क्रूरता एवं उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकता है।

मोहम्मद होशन एवं अन्य बनाम आंध्रप्रदेश राज्य **[(2002) 7 SCC 414]** के प्रकरण में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि शिकायतों, आरोपों अथवा तानों का किसी व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव, जिससे क्रूरता सिद्ध होती हो, विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे—संबंधित पीड़ित व्यक्ति की संवेदनशीलता, उसका सामाजिक परिवेश, वातावरण, शिक्षा आदि। आगे यह भी कहा गया कि मानसिक क्रूरता व्यक्ति-विशेष के अनुसार भिन्न होती है, जो उसकी संवेदनशीलता की तीव्रता तथा ऐसी मानसिक प्रताड़ना को सहन करने के साहस एवं सहनशीलता की सीमा पर निर्भर करती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यदि हम एफ.आई.आर. की विषयवस्तु तथा शिकायतकर्ता एवं उसके अन्य साक्षियों के कथनों का परीक्षण करें, तो यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता द्वारा एफ.आई.आर. में लगाए गए क्रूरता के आरोपों के संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है और विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क/34 के अंतर्गत आरोप विरचित करना न्यायोचित था।

अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में कोई ऐसी अवैधता नहीं है, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने योग्य

हो। याचिका में कोई सार नहीं है, अतः इसे प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया जाता है।

तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त नहीं किया है तथा इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ केवल आरोप विरचित करने तक सीमित हैं और उससे अधिक नहीं।

सही/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**